बनाम मेघाबिहारी

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1/18	पत्रावली पेश हुयी पैरोकार सरकार व अप्रार्थी उप० है। बहस अप्रार्थी परगौर किया तो अप्रार्थी ने जवाब प्रा पत्र का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है जिसमें किसी प्रकार की कोई आवासीय स्कीम विकसित नहीं है, उक्त भूमि के चारो ओर सुरक्षा दिवार का निर्माण करवा रखा है। मौके पर बारानी भूमि होने के कारण बंजड़ पड़ी हुयी है। उक्त प्रकरण 177 राज० काश्त० अधिनियम की परिधि में नहीं आता है। कालित होने पर काश्त के रूप में काम आती है। अतः प्रा० पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी की बहस परगौर किया व पत्रावली का परीक्षण किया गया तो तहसीलदार चाकसू के द्वारा ग्राम यशापुरा के ख० नं० 70/2, 70/3 किता 2 रकबा 0.95 है० बारानी 2 कृषि भूमि में जे० गु० स्कीम स्थित है जबकि राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कृषि प्रयोजन हेतु होती जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना संपरिवर्तन कराये उक्त ख० नं० का आवासीय कार्य हेतु प्रयोग कर अकृषि उपयोग किया जाने बाबत पेश किया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर 177 के तहत [illegible] किये जाने पर प्रकरण [illegible] तलब किया गया [illegible] को वर्तमान मौका [illegible] अप्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र का जवाब पेश किया कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है तथा किसी प्रकार की कोई आवासीय स्कीम उक्त भूमि में उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:09:11 IST
Reason: SelfAttested

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		विकसित नहीं है बल्कि वास्तविकता तो यह है कि उक्त भूमि के चारों तरफ सुरक्षा दीवार का निर्माण करवा रखा है इसके अलावा मौके पर बारानी भूमि होने के कारण बंजड़ पड़ी हुयी है। इस प्रकार उक्त भूमि किसी प्रकार से अकृषि कार्य के रूप में काम नहीं आ रही है। उक्त भूमि बारानी है पानी नहीं होने से खाली पड़ी रहती है मौके पर कोई आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं है। बारिश होने पर काश्त के रूप में काम आती है खसरा गिरदावरी 2071-72 में काश्त का उल्लेख नहीं होने से अप्रार्थी के अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त प्रकरण धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नहीं आता है। प्रा.पत्र खारिज फरमाया जावे। जवाब सरकार अनुसार ग्राम यपापुरा के खा.नं. 70/2 रकबा 0.30 है. 70/3 रकबा 0.65 है. मौके पर वर्तमान में उक्त ख.नं. में जोत लगी हुयी है। एवं कालोनी सड़कों को खुर्दबुर्द कर दिया गया, उक्त आराजी में की गयी प्लोटिंग को जोत करके एवं सड़क को खुर्दबुर्द करके समाप्त कर दिया गया, ख.नं. 70/2 में रकबा 0.02 है. [illegible] बने हुए है। जिसकी मौके की फोटो भी पेश की गयी। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में जोत लगा रखी है एवं प्लोटिंग व सड़क को खुर्दबुर्द कर दिया [illegible] रिपोर्ट तहसीलदार चाकसू एवं जवाब प्रा.पत्र [illegible] धारा 177 राज. काश्तकारी [illegible] प्रार्थी [illegible] नहीं आता है। अतः [illegible] प्रकरण धारा 177 राज. काश्तकारी की परिधि में नहीं [illegible] के कारण खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रकरण धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:09:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)